चित्र 16.4 : सर्वोच्च न्यायालय

- इसमें किसी के साथ लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अतः नागरिकों के अंदर हीन भावना और असंतोष की गुंजाइश न के बराबर होती है।
- लोकतंत्र में कोई भी नागरिक अपनी क्षमता, इच्छा-शक्ति, प्रतिभा और मेहनत के बल पर किसी भी मनपसंद क्षेत्र में जितना चाहे, उतना आगे बढ़ सकता है। उस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जा सकती।
- कोई भी नागरिक यदि चाहे तो चुनाव में हिस्सा लेकर सक्रिय राजनीति में उतर सकता है। वह सरकार में सक्रिय भूमिका निभाकर देश के विकास में योगदान दे सकता है।
- लोकतंत्र में साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान की उन्नति अधिक तेजी से होती है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था के दोष

- कुछ विद्वानों का मत है कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता की सरकार नहीं होती, बल्कि कुछ साधन सम्पन्न व्यक्तियों की सरकार होती है। अक्सर पैसे वाले लोग गलत तरीकों से चुनाव जीत जाते हैं और सत्ता में पहुँच जाते हैं।
- लोकतंत्र में बहुत से राजनीतिक दल सक्रिय होते हैं। इन दलों की आपसी खींचतान, उठा-पटक और आरोप-प्रत्यारोप से राजनीति प्रभावित होती है।
- लोकतंत्रीय सरकार में अधिकांश निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। अतः महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में देरी होती है। प्रायः ये सरकारें युद्ध और संकट काल में कमजोर सिद्ध होती हैं।

- लोकतांत्रिक प्रणाली में बहुमत को ही महत्त्व दिया जाता है। जिस राजनीतिक दल को चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है, वही सरकार बनाता है, चाहे उसे सरकार चलाने का ज्ञान और अनुभव हो या न हो।
- सत्ता में आने के लिए चुनाव में दबंग और पैसे वाले उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उन्हें तरह-तरह के लालच देते हैं। कभी-कभी डरा-धमकाकर भी चुनाव प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।
- कभी-कभी कुछ दल धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर वोट की राजनीति करने लगते हैं। इससे आपस की दूरियाँ बढ़ती हैं और एकता की भावना कमजोर पड़ती है।
- लोकतांत्रिक सरकार में चुनाव में खड़े होने के लिए शैक्षिक योग्यता निर्धारित न होने के कारण अक्सर अयोग्य, अशिक्षित या अल्पशिक्षित लोग चुनाव जीतकर सत्ता में पहुँच जाते हैं।
- जागरूकता की कमी के कारण अधिकांश मतदाता मतदान के प्रति रुचि नहीं लेते। इससे वोट प्रतिशत काफी कम रह जाता है और सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं हो पाता।

चित्र 16.5 : संसद का दृश्य

इस प्रकार देखा जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ अनेक दोष हैं, वहीं इसमें बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं। इस प्रणाली में नागरिकों को स्वतंत्रतापूर्वक रहने और जीने की आजादी होती है। आम जनता भी किसी न किसी रूप में सत्ता में भागीदार होती है। जनता अपने लिए स्वयं सरकार बनाती है। अगले चुनाव में उसके पास सरकार बदलने का भी पूरा मौका रहता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। ब्रिटेन और भूटान में लोकतंत्र है और राजतंत्र भी है। आधुनिक युग में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबसे उत्तम माना गया है।

पाठगत प्रश्न 16.5

1. **सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए–**

(क) लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन .... के हाथ में होता है। (नेता / जनता / राजा)

(ख) जनता चुनाव में .... देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है।(वोट / नोट / सुझाव)

(ग) जिस दल का बहुमत होता है, उसी की .... बनती है। (सेना / अदालत / सरकार)

(घ) लोकतंत्र में सरकार चलाने वाले .... नहीं हो सकते। (स्वतंत्र / निरंकुश / समझदार)

(च) अक्सर .... वाले लोग गलत तरीकों से चुनाव जीत जाते हैं। (पैसे / गुस्से / फैशन)

आपने क्या सीखा

- राज्य के चार आवश्यक तत्त्व होते हैं– जनसंख्या, निश्चित भू-भाग, सरकार तथा सम्प्रभुता।
- सरकार राज्य का एक अनिवार्य तत्त्व है। सरकार न हो, तो राज्य और जनता असंगठित और अनियंत्रित होकर अराजक भीड़ की तरह हो जाएगी।
- राजशाही या राजतंत्र वह शासन प्रणाली है, जिसमें शासन की पूरी शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। वह व्यक्ति राजा कहलाता है।
- राजा पीढ़ी दर पीढ़ी वंश परम्परा के अनुसार तय होता है।
- जब कोई व्यक्ति सैनिक शक्ति अथवा दलीय आधार पर बलपूर्वक शासन सत्ता अपने हाथ में ले लेता है, तो उसे तानाशाही शासन प्रणाली कहते हैं। इसे 'अधिनायक तंत्र' भी कहा जाता है।
- तानाशाही शासन प्रणाली से शासन चलाने वाले को 'तानाशाह' कहते हैं।
- तानाशाही या अधिनायक तंत्र में शासक पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता। उसकी इच्छा ही नियम और कानून बन जाते हैं।
- किसी राष्ट्र के कुछ लोग अपने से कमजोर व कम संगठित देश पर कब्जा करके वहाँ की सारी व्यवस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने लगते हैं, तो उसे 'उपनिवेशवाद' कहते हैं।
- भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका है।

- अंग्रेजों के शोषण, अत्याचार और गुलामी से त्रस्त होकर धीरे-धीरे राष्ट्रीय आन्दोलन का जन्म हुआ। लम्बे संघर्ष के बाद 15 अगस्त, सन् 1947 को भारत आजाद हुआ।
- लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन जनता के हाथ में होता है। जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार के माध्यम से शासन चलाती है।
- लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है।
- लोकतंत्र में जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं।
- लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई राजनीतिक दल सक्रिय होते हैं। चुनाव में जिस दल को बहुमत मिलता है, वही सरकार बनाता है।
- भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके सभी नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है।
- आधुनिक युग में लोकतांत्रिक व्यवस्था को शासन के लिए सबसे उत्तम माना गया है।

पाठांत प्रश्न

1. सही मिलान कीजिए–

(1)	राजशाही	मतदान
(2)	तानाशाही	आजादी
(3)	लोकतंत्र	राजा
(4)	अंग्रेज	प्रजातंत्र
(5)	चुनाव	तानाशाह
(6)	संघर्ष	ईस्ट इंडिया कम्पनी

2. बॉक्स में से सही उत्तर चुनकर बताइए, किसको क्या कहते हैं–

(प्रजातंत्र, निरंकुश, राजा, तानाशाह, मतदाता)

(क) वंश परम्परा के अनुसार शासन करने वाला।

....

(ख) सैनिक शक्ति के बल पर मनमाने ढंग से शासन करने वाला।

....

(ग) जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन।

....

(घ) चुनाव में मतदान करने वाला।

....

(च) जिसके ऊपर किसी तरह का कोई अंकुश न हो।

....

3. सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए–

(क) राजा की .... का उल्लंघन करना पाप माना जाता है। (पूजा / आज्ञा / क्रोध)

(ख) राजशाही शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों का .... नहीं होता। (टकराव / बिखराव / बचाव)

(ग) यह .... का युग है। (राजतंत्र / लोकतंत्र / अधिनायकतंत्र)

(घ) तानाशाह .... के बल पर शासन करता है। (नेता / जनता / सेना)

(च) अंग्रेजों ने .... डालो और राज करो की नीति अपनाई। (कूट / लूट / फूट)

(छ) जनता चुनाव में .... देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है। (चोट / वोट / नोट)

(ज) लोकतंत्र में सरकार चलाने वाले .... नहीं हो सकते। (निरंकुश / खुश / नाखुश)

4. राज्य के कौन-कौन से चार मुख्य तत्त्व होते हैं?

....

5. लोकतंत्र में किस दल की सरकार बनती है?

....

6. आधुनिक युग में कौन-सी शासन प्रणाली सबसे उत्तम मानी जाती है?

....

7. अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश कैसे बनाया?

....

....

....

....

....

आइए, करके देखें

- अपने साथियों और रिश्तेदारों से पुराने राजाओं के किस्से सुनिए।
- गाँव के बुजुर्गों से अंग्रेजों के किस्से सुनिए।
- चुनाव के समय चुनाव से जुड़ी खबरें जरूर सुनिए।
- यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है और मतदाता सूची में आपका नाम है तो चुनाव में वोट डालने जरूर जाइए। दूसरे लोगों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित कीजिए। मतदाता सूची में नाम जरूर लिखवाइए।

उत्तरमाला

पाठगत प्रश्न

16.1

1. जनसंख्या, निश्चित भू-भाग, सरकार, सम्प्रभुता।

2. (क) सम्प्रभुता (ख) संस्था (ग) सरकार

16.2

1. (क) व्यक्ति (ख) न्यायाधीश (ग) बगावत
   (घ) अंकुश (च) जागरूक

16.3

1. (क) नियंत्रण (ख) दलों (ग) सर्वोपरि
   (घ) सेना (च) अनदेखी

16.4

1. (क) उपनिवेश (ख) व्यापार
   (ग) संस्कृति (घ) कमजोर

16.5

1. (क) जनता (ख) वोट (ग) सरकार
   (घ) निरंकुश (च) पैसे

पाठांत प्रश्न

1. राजशाही – राजा
   तानाशाही – तानाशाह
   लोकतंत्र – प्रजातंत्र
   अंग्रेज – ईस्ट इंडिया कम्पनी
   चुनाव – मतदान
   संघर्ष – आजादी

2. (क) राजा (ख) तानाशाह
   (ग) प्रजातंत्र (घ) मतदाता
   (च) निरंकुश

3. (क) आज्ञा (ख) टकराव
   (ग) लोकतंत्र (घ) सेना
   (च) फूट (छ) वोट
   (ज) निरंकुश

4. 1. जनसंख्या, सरकार, निश्चित भू-भाग, सम्प्रभुता

5. चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले दल की।

6. लोकतांत्रिक शासन प्रणाली

7. स्वयं करें।

17

भारतीय संविधान

किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम-कानूनों की जरूरत पड़ती है, कुछ नीतियों की जरूरत पड़ती है। देश का संविधान यही जरूरतें पूरी करता है। संविधान को देश का मौलिक व सर्वोच्च कानून माना जाता है। भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था। संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। इन्हें मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकारों की ही तरह नागरिकों के लिए मूल कर्त्तव्य भी तय किए गए हैं। हर नागरिक से यह उम्मीद की जाती है कि वह मूल कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ की शासन-प्रणाली संसदीय होने के साथ-साथ संघीय भी है। केन्द्रीय-स्तर पर संघ या केन्द्र सरकार है और राज्य-स्तर पर राज्य सरकारें। संघ सरकार के तीन अंग हैं– विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ विधायिका, अर्थात् संसद, कार्यपालिका से बहुत नजदीकी से जुड़ी रहती है। कार्यपालिका राष्ट्रपति, मंत्रि परिषद और सरकारी अधिकारियों से मिलकर बनती है। विधायिका, अर्थात् संसद में दो सदन होते हैं– राज्य सभा और लोक सभा।

न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है और झगड़ों को निपटाती है। यह मूल अधिकारों की रक्षा भी करती है।

इस पाठ में हम भारतीय संविधान, संविधान के मूल तत्त्वों, नागरिकों के मूल अधिकारों व मूल कर्त्तव्यों, संसदीय लोकतंत्र तथा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में जानेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- राज्य की अवधारणा को स्पष्ट कर सकेंगे;
- संविधान क्या है, भारत का संविधान कब लागू हुआ तथा संविधान की क्या आवश्यकता है, इसको समझा सकेंगे;

- भारत के संविधान के मूल तत्त्वों का वर्णन कर सकेंगे;
- संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकारों का विश्लेषण कर सकेंगे;
- संविधान के अनुसार हमारे मूल कर्त्तव्यों की विवेचना कर सकेंगे;
- संसदीय लोकतंत्र के अर्थ और इसकी कार्यप्रणाली को समझा सकेंगे और
- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका को बता सकेंगे।

17.1 राज्य क्या है?

संविधान के बारे में जानने से पहले यह जरूरी है कि 'राज्य' के बारे में जाना जाए। 'राज्य' का अर्थ यहाँ वह राज्य नहीं है, जैसा हम आम तौर पर मानते हैं। हम सामान्य बोलचाल में राज्य को उस अर्थ में लेते हैं, जो हमारे देश का एक छोटा हिस्सा होता है और जहाँ राज्य सरकार काम करती है, जैसे– मध्य प्रदेश, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि। ये सब तो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। देश का शासन चलाने के लिए उसे छोटी-छोटी प्रशासनिक इकाइयों में बाँट दिया गया है।

यहाँ हम जिस 'राज्य' शब्द की बात कर रहे हैं, उसका अर्थ ज्यादा बड़ा है, जैसे- भारत एक राज्य है। राज्य के चार मुख्य तत्त्व होते हैं, जो इस प्रकार हैं–

1. जनता या जनसंख्या।
2. भू-भाग, जहाँ जनता रहती है।
3. सरकार, जो जनता के लिए कायदे-कानून बनाती है और उन्हें लागू कराती है।
4. सम्प्रभुता, अर्थात् राज्य के पूरे भू-भाग में राज्य का एकाधिकार व सर्वोच्चता तथा किसी दूसरे राज्य के नियंत्रण से मुक्त।

ये चार तत्त्व होंगे, तभी कोई भू-भाग राज्य माना जाएगा। राज्य के लिए इन चारों का होना जरूरी शर्त है। इस अर्थ में भारत एक राज्य है। यहाँ जनता भी है, भू-भाग भी है, सरकार भी और सम्प्रभुता भी।

17.2 संविधान क्या है?

हमारे भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में जाना जाता है। ऐसे कल्याणकारी राज्य की सरकार का क्या रूप होगा? सत्ता कैसी होगी? शासन किस प्रकार चलेगा? नागरिकों से सरकार के कैसे सम्बन्ध रहेंगे? जैसी बातें पहले तय कर ली गई हैं। जिस किताब में इन कानूनों और विधियों को लिखा गया है, उसे संविधान कहते हैं।

संविधान राज्य का मूलभूत कानून माना जाता है। इसमें वे उद्देश्य तय किए गए हैं, जिन्हें राज्य, यानी भारत, को लागू कराना है। संविधान में ही यह तय किया गया है कि सरकार चलाने के लिए अलग-अलग स्तरों

पर क्या व्यवस्था की जाएगी? सरकार कैसे बनेगी? नागरिकों के अधिकार और कर्त्तव्य क्या होंगे? संविधान को देश का शासन चलाने का आधार भी माना जाता है।

संविधान का सरोकार दो मुख्य बातों से है– 1. सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच आपसी सम्बन्ध, 2. सरकार और नागरिकों के बीच सम्बन्ध।

17.3 भारत का संविधान

भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। इसीलिए इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की कई समितियाँ और उप समितियाँ थीं। इन्हीं समितियों और उप समितियों की मदद से संविधान सभा अपना काम करती थी। इन्हीं समितियों में एक थी– प्रारूप समिति। यह संविधान सभा की सबसे महत्त्वपूर्ण समिति थी। संविधान का प्रारूप तैयार करने का काम इसी समिति के जिम्मे था। इस समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर थे।

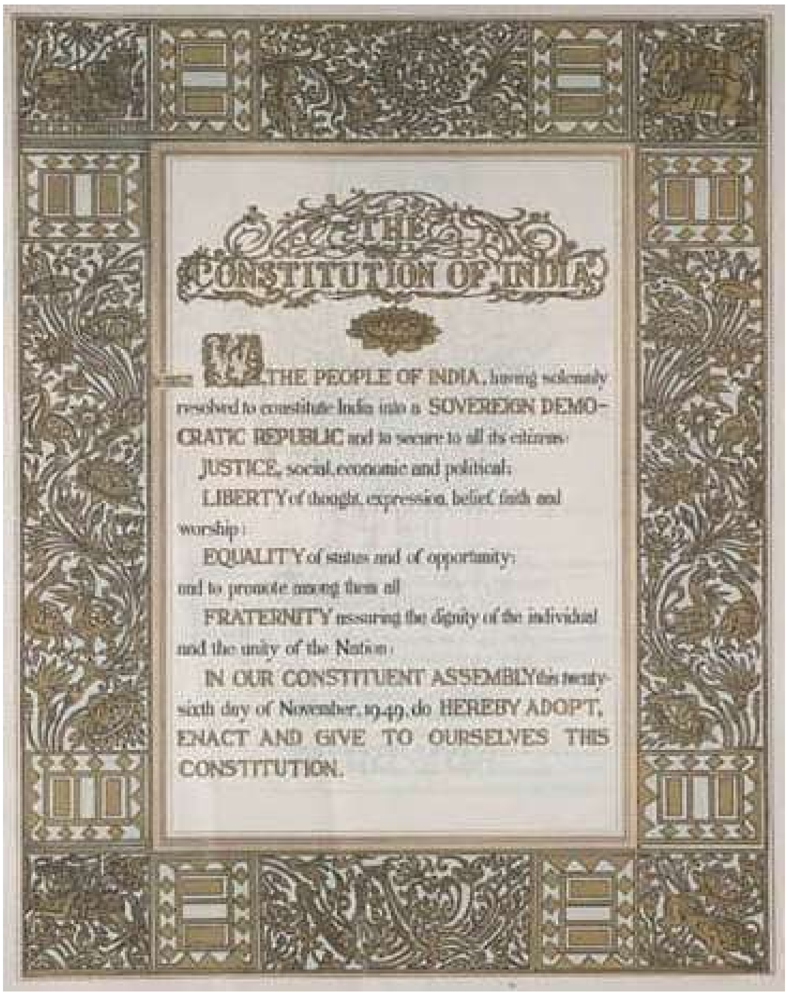

चित्र 17.1 : भारत का संविधान

कुछ रोचक बातें

- संविधान सभा का गठन सन् 1946 में हुआ था।
- दिसम्बर 1947 में संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे।
- संविधान सभा की बैठकें 2 साल 11 महीने 18 दिन चलीं।
- संविधान सभा की कुल 166 बार बैठकें हुईं।
- संविधान सभा ने 26 नवम्बर, 1949 को अपना काम पूरा किया।

17.4 भारतीय संविधान के मूल तत्त्व

संविधान में भारत को एक सम्पूर्ण, प्रभुता सम्पन्न, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात कही गई है। इसके साथ-साथ सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय दिलाने की बात कही गई है। संविधान में सभी नागरिकों को अपने विचार रखने की व उपासना करने की आजादी दी गई है। सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक अधिकार भी दिए गए हैं। उनके लिए अवसरों की समानता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के मूल तत्त्व इस प्रकार हैं–

1. **सम्प्रभुता :** सम्प्रभुता किसी भी राज्य के लिए बहुत जरूरी तत्त्व है। सम्प्रभुता का मतलब होता है पूरी स्वतंत्रता। न अन्दर का कोई दबाव हो, न बाहर का। राज्य को अपना निर्णय लेने की पूरी आजादी हो। सम्प्रभुता वह शक्ति है, जिसके द्वारा राज्य उसके अन्दर रहने वालों से आज्ञापालन करवाने की क्षमता रखता है।

2. **समाजवादी राज्य :** संविधान में भारत को समाजवादी राज्य कहा गया है। समाजवाद का मतलब है, सबको काम करने के समान अवसर मिलें। आर्थिक व जातीय आधार पर असमानता न हो। सब लोगों की न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति होती हो। हमारे संविधान में ये सब बातें नीति निर्देशक तत्त्वों के अन्तर्गत दी गई हैं।

3. **पंथनिरपेक्षता :** भारतीय संविधान का एक विशेष तत्त्व है पंथ / धर्मनिरपेक्षता। संविधान में यह कहा गया है कि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य किसी को भी सरकारी धन से प्रोत्साहित नहीं करेगा। सभी धर्मों को मानने वाले समान माने जाएँगे। हर नागरिक किसी भी पंथ/धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होगा। उपासना/पूजा का कोई भी तरीका अपनाने के लिए स्वतंत्र होगा। किसी भी नागरिक से मत/पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।

4. **लोकतांत्रिक गणराज्य :** संविधान ने भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। इसी आधार पर हमारे देश में सरकार चुनी जाती है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, जो सरकार बनाते हैं। यही सरकार शासन चलाती है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

गणराज्य का अर्थ है कि राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का अर्थ है कि जनता राष्ट्रपति को सीधे नहीं चुनती। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं। राष्ट्रपति ही भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है।

5. **न्याय, स्वतंत्रता और समानता :** भारत के संविधान में सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता का प्रावधान किया गया है। इसके लिए संविधान में मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्त्वों की व्यवस्था की गई है। न्याय का अर्थ है, लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले। सभी को भोजन, कपड़ा और आवास मिले। गरिमापूर्ण जीवन बिताने का मौका मिले। कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। सारा धन कुछ ही लोगों के हाथों में इकट्ठा न हो।

स्वतंत्रता का अर्थ है कि हर नागरिक को अपनी बात कहने की आजादी हो। भारत में कहीं भी जाने की आजादी हो। कहीं भी रहने और आजीविका कमाने की आजादी हो। कोई भी कार्य, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी करने की आजादी हो।

समानता का अर्थ है कि किसी के साथ भी धर्म, भाषा, लिंग, जाति, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। सभी नागरिकों को, बिना किसी भेदभाव के एक समान अवसर मिलें। एक समान न्याय मिले। कानून की नजर में सब बराबर हों।

पाठगत प्रश्न 17.1

1. **सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए–**

(कानून, राष्ट्रपति, संप्रभुता, 26 जनवरी 1950)

- राज्य के चार मुख्य तत्त्व हैं– जनता, भूभाग, सरकार और ....।
- हमारे देश का संविधान .... को लागू हुआ था।
- संविधान राज्य का मूलभूत .... माना जाता है।
- भारत का संवैधानिक प्रमुख .... होता है।

2. **निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-**

- गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है?

....

- लोकतंत्र का क्या अर्थ है?

....

- भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?

....

17.5 हमारे मौलिक अधिकार

इस देश का नागरिक होने के नाते हमें कई अधिकार मिले हुए हैं। ये अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमसे हमारे ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। यदि ऐसा होता है तो हम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। संविधान में दिए गए इन अधिकारों को मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं।

हमारे मूल अधिकार हैं–

1. समानता का अधिकार
2. स्वतंत्रता का अधिकार
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार

आइए, इन अधिकारों के बारे में विस्तार से जानें-

1. **समानता का अधिकार :** समानता के अधिकार का अर्थ है कि सभी नागरिक एक समान माने जाएँगे। धर्म, जाति, वर्ग, वंश, कुल, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

   समानता के अधिकार में पाँच प्रकार की समानताएँ शामिल हैं:

   (अ) कानून के समक्ष समानता – इसका अर्थ है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। कानून से ऊपर कोई नहीं। कानून किसी से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

   (ब) धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म, स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता किसी भी सार्वजनिक स्थान, दुकान, होटल आदि में किसी भी नागरिक के जाने पर रोक नहीं है। सरकारी धन से बने कुँओं, तालाबों, सड़कों आदि का इस्तेमाल कोई भी बिना भेदभाव के कर सकता है।

   (स) रोजगार के अवसरों में समानता – सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में रोजगार के एक समान अवसर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। रोजगार का आधार योग्यता है।

   (द) छुआछूत नहीं – छुआछूत के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस आधार पर किसी को सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोकना, सार्वजनिक पूजा-स्थल पर जाने से रोकना अपराध है। जाति के आधार पर किसी को अपमानित करना और छुआछूत को बढ़ावा देना भी अपराध है।

(य) उपाधियों की समाप्ति – अंग्रेजों के जमाने में दी गई 'राय साहब', 'राय बहादुर' जैसी उपाधियाँ खत्म कर दी गई हैं।

2. **स्वतंत्रता का अधिकार :** इसके अन्तर्गत 6 तरह की स्वतंत्रता आती है–

(अ) भाषण देने और अपनी बात लोगों के सामने रखने की स्वतंत्रता।

(ब) बिना हथियार लिए, शान्तिपूर्ण तरीके से सभा या सम्मेलन करने या जुलूस निकालने की स्वतंत्रता।

(स) संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता।

(द) भारत में कहीं भी जाने की स्वतंत्रता।

(य) भारत के किसी भी हिस्से में रहने और जीवनयापन करने की स्वतंत्रता।

(र) कोई भी कार्य, व्यापार, व्यवसाय, आजीविका कमाने की स्वतंत्रता।

3. **शोषण के विरुद्ध अधिकार :** बंधुआ मजदूरी कराए जाने पर पाबंदी है। इन्सान को सामान की तरह खरीदने-बेचने पर भी पाबंदी है। चौदह साल से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता। उनसे खतरे वाले काम भी नहीं कराए जा सकते।

4. **धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार :** हमारे देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं। सबके अपने-अपने धार्मिक क्रियाकलाप हैं। संविधान ने सभी को अपना धर्म अपनाने की स्वतंत्रता दी है। हर नागरिक अपनी इच्छानुसार किसी भी मत / पंथ को मानने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी पूजा का तरीका अपनाने के लिए स्वतंत्र है। अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने व धार्मिक उद्देश्य से कोई संस्थान बनाने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी धार्मिक समूह को कानून के अनुसार चल या अचल सम्पत्ति खरीदने का अधिकार, उसकी देखरेख करने का अधिकार है।

सरकारी धन से चल रहे किसी शैक्षिक संस्थान में किसी विशेष धर्म की शिक्षा का इंतजाम नहीं किया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार असीमित नहीं हैं। कानून-व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर उन पर रोक लगाई जा सकती है।

5. **संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार :** हमारा संविधान नागरिकों को अपनी संस्कृति और भाषा को बचाए रखने के लिए जरूरी सुरक्षा देता है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थाएं खोलने और चलाने का अधिकार भी संविधान में दिया गया है। शैक्षिक संस्थानों को सरकारी सहायता देते समय किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य का लक्ष्य है– देश की मिली-जुली संस्कृति की रक्षा करना।

6. **संवैधानिक उपचारों का अधिकार :** अगर इन अधिकारों को कोई भी दबाने की कोशिश करे, तो क्या करें? इसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई है। जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा

है, उसे संविधान ने कानून का सहारा लेने का अधिकार दिया है। वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।

ये अधिकार संविधान के तीसरे भाग में धारा 14 से 32 तक दिए गए हैं। वर्ष 2002 में सरकार ने संविधान में 86वाँ संशोधन किया। इस संशोधन में धारा 21 में धारा 21ए जोड़ी गई। इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा पाने का मौका देना माता-पिता या अभिभावक का मौलिक कर्त्तव्य है।

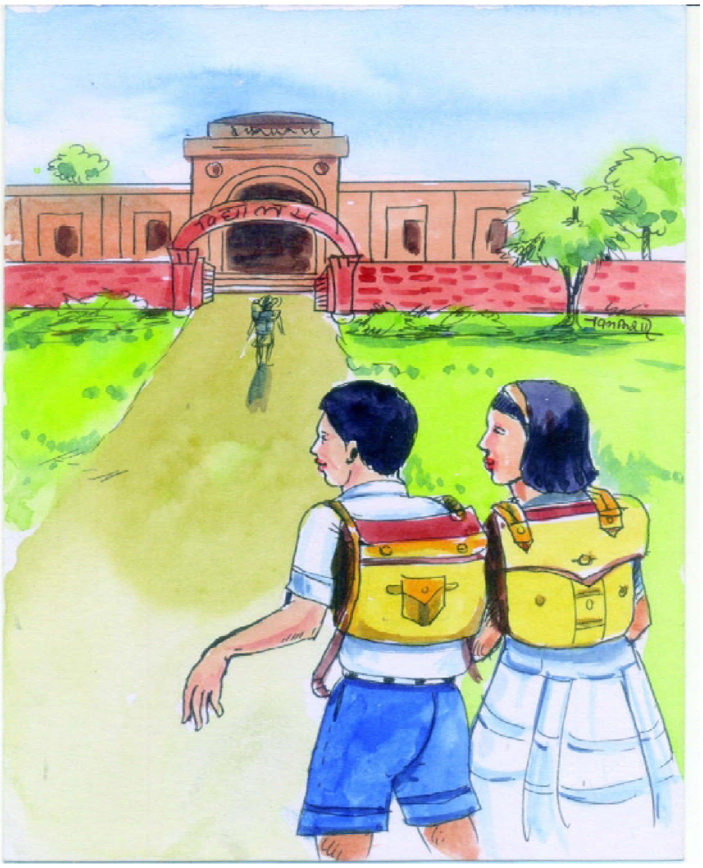

चित्र 17.2 : शिक्षा प्राप्त करना हमारा मौलिक अधिकार

17.6 हमारे मूल कर्त्तव्य

हमारे संविधान ने हमें अधिकार तो दिए हैं, पर साथ ही कुछ कर्त्तव्य भी तय किए हैं। इन कर्त्तव्यों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हम जिस देश में रह रहे हैं, वह तरक्की करे, दुनिया में उसका नाम हो, यह सब उसके नागरिकों पर निर्भर करता है। अगर नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निभा रहे हैं, तो देश जरूर आगे बढ़ेगा। एक परिवार तभी अच्छा परिवार कहलाता है, जब उसके सभी सदस्य

परिवार के लिए सोचें और एकजुट रहें। अच्छे विचार रखें। परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सोचें। इसी तरह देश भी एक बड़ा परिवार है। उसके सभी नागरिकों को देश के विकास और तरक्की के लिए सोचना चाहिए। संविधान ने हमारे लिए जो कर्त्तव्य तय किए हैं, वे इस प्रकार हैं–

- संविधान का पालन करें। उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें।
- स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। उनका पालन करें।
- भारत की एकता और अखण्डता की रक्षा करें।
- देश की रक्षा करें।
- देश के सभी लोगों के बीच समरसता और समान भाईचारे की ऐसी भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।
- अपनी गौरवशाली परंपरा तथा समरस संस्कृति का महत्त्व समझें और उसे बनाए रखें।
- प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। प्राकृतिक पर्यावरण में वन, झील, नदी और जंगलों में रहने वाले जीव-जन्तु शामिल हैं। सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखें।
- वैज्ञानिक नजरिए और मानववाद का विकास करें।
- सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें। हिंसा न करें।

पाठगत प्रश्न 17.2

1. सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए–

(क) सरकारी धन से चल रहे शिक्षा संस्थानों में .... शिक्षा नहीं दी जा सकती। (नैतिक / धार्मिक)

(ख) स्वतंत्रता के अधिकार में .... प्रकार की स्वतंत्रताएँ दी गई हैं। (6 / 8)

(ग) शिक्षा के अधिकार को सन् .... में मूल अधिकारों में शामिल किया गया। (2002 / 2008)

(घ) संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा मूल .... है। (अधिकार / कर्त्तव्य)

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

(क) कारखानों में किस उम्र से कम के बच्चे काम नहीं कर सकते?

....

(ख) यदि किसी के मूल अधिकार छीने जाते हैं, तो वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कर सकता है?

....

(ग) शिक्षा के अधिकार में किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है?

....

17.7 संसदीय लोकतंत्र

लोकतंत्र का मतलब है– जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था अपनाई गई है। नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वे प्रतिनिधि देश पर शासन करते हैं। वे प्रतिनिधि कई स्तरों पर चुने जाते हैं। भारत में शासन की संसदीय व्यवस्था है। इसमें केन्द्र में संसद होती है। संसद के सदस्य सांसद कहे जाते हैं। संसद के दो सदन हैं– राज्यसभा और लोकसभा। केन्द्र स्तर पर जनता संसद सदस्यों के रूप में अपने प्रतिनिधि चुनती हैं। ये प्रतिनिधि लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। संसद में राज्य सभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा निचला सदन कहलाती है। राष्ट्रपति भी संसद के अंग होते हैं। वे संसद के सदस्य नहीं होते, किन्तु फिर भी संसद के अंग होते हैं। संसद जो भी कानून बनाती है, उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं।

चित्र 17.3 : संसद भवन

इसी तरह राज्यों के शासन के लिए भी जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। राज्यों में विधान-मंडल होते हैं। इसमें दो सदन होते हैं– विधान परिषद और विधान सभा। परन्तु कई राज्यों में केवल विधान सभा ही होती है। राज्यों में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है और विधान सभा को निचला सदन।

देश की सरकार के तीन प्रमुख अंग होते हैं– विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंग साथ मिलकर काम करते हैं, तभी देश का शासन चलता है। विधायिका कानून बनाती है। कार्यपालिका उन कानूनों का पालन करवाती है। न्यायपालिका संवैधानिक नियमों की व्याख्या करती है और कानून का पालन न करने वालों को दंड देती है।

17.8 विधायिका

हमारे देश में केन्द्र में संसद विधायिका है। यह पहले कहा जा चुका है कि संसद के तीन अंग होते हैं– राष्ट्रपति, राज्य सभा और लोकसभा।

राज्यसभा

राज्य सभा में 250 सदस्य होते हैं। इनमें से 238 सदस्य जनता के प्रतिनिधियों अर्थात्, विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। ये अलग-अलग राज्यों से चुनकर आते हैं। इनका चुनाव राज्यों के विधान सभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। बाकी 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं।

सदस्यों के लिए योग्यताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. उम्र 30 साल से अधिक हो।
3. वे सभी योग्यताएँ हों, जो संसद द्वारा समय-समय पर तय की गई हों।

कार्यकाल

राज्य सभा-स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होता, पर हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसके एक तिहाई सदस्य हर दो साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं।

पदाधिकारी

राज्य सभा का सभापति भारत का उप राष्ट्रपति होता है। वह पदेन सभापति होता है। पदेन, यानी अपने पद के कारण। उप राष्ट्रपति ही राज्य सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। उसकी अनुपस्थिति में उप सभापति अध्यक्षता करता है। उप सभापति का चुनाव सदस्य अपने में से ही करते हैं।

लोकसभा

लोकसभा में अधिक से अधिक 550 निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। हमारे देश में 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। ये मतदाता ही लोकसभा के सदस्यों को चुनाव आयोजन के समय चुनते हैं।

सदस्यों के लिए योग्यताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. उम्र 25 साल पूरी कर चुका हो।
3. वे सभी योग्यताएँ हों, जो समय-समय पर संसद द्वारा तय की गई हों।

कार्यकाल

लोकसभा का कार्यकाल पाँच साल का होता है। परन्तु मंत्रि-परिषद की सलाह पर इससे पहले भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है।

पदाधिकारी

लोकसभा का अध्यक्ष सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है। अध्यक्ष ही बैठकों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर भी कहा जाता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करता है। उपाध्यक्ष भी सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है।

संसद के कार्य

विधायी कार्य

संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। संविधान में विधायी अधिकारों को तीन सूचियों में बाँटा गया है– केन्द्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केन्द्र सूची सबसे बड़ी है। इसमें 97 विषय हैं। ये विषय देश हित व राष्ट्रीय महत्त्व से सम्बन्धित हैं। केन्द्र सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। कानून बनाने के लिए प्रस्ताव विधेयक के रूप में संसद में रखा जाता है। संसद में पास होने और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह कानून बन जाता है। ये कानून पूरे देश में लागू होते हैं।

राज्य सूची के विषयों पर राज्यों के विधान-मंडल कानून बनाते हैं। ये कानून उस राज्य में ही लागू होते हैं। इसमें 66 विषय हैं।

समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। इन विषयों पर संसद और विधान-मंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। कभी-कभी संसद और विधान-मंडल द्वारा बनाए गए कानूनों में विरोध हो जाता है। तब संसद द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है।

कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य

संसद का कार्यपालिका पर पूरा नियंत्रण होता है। मंत्रि-परिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्रि-परिषद को भंग कर सकती है। केन्द्र सरकार से सम्बन्धित किसी भी मामले पर सांसद प्रश्न पूछ सकते हैं। मंत्रियों को इन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ये तरीके सरकार को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रखते हैं।

वित्तीय या धन सम्बन्धी कार्य

संसद केन्द्र सरकार की सारी आमदनी पर नियंत्रण रखती है। बिना संसद की स्वीकृति के सरकार कोई धनराशि खर्च नहीं कर सकती। संसद हर साल सरकार के बजट को स्वीकृत करती है।

संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्य

संविधान के अधिकांश भागों में संसद कुल सदस्यों के बहुमत से संशोधन कर सकती है। इसमें उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई बहुमत होना चाहिए। पर कुछ खास संशोधनों में संसद के बहुमत के साथ राज्यों के विधान-मंडलों के बहुमत की स्वीकृति की भी जरूरत होती है।

अन्य कार्य

- संसद महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है।
- संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
- आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति संसद ही देती है।
- संसद नए राज्य का गठन कर सकती है, राज्य की सीमाएँ बदल सकती है और राज्य का नाम बदल सकती है।

पाठगत प्रश्न 17.3

1. सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए–

(क) लोकतंत्र का मतलब है– जनता का, जनता द्वारा, ... के लिए शासन। (जनता / नेता)

(ख) राज्य सभा को संसद का .... सदन कहा जाता है। (निचला / उच्च)

(ग) हमारे देश में .... साल से ऊपर के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। (25 / 18)

(घ) राज्य सभा में प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल .... साल का होता है। (6 / 5)

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

(क) राज्य सभा का पदेन सभापति कौन होता है?

....

(ख) लोकसभा को कौन भंग कर सकता है?

....

(ग) संविधान में विधायी अधिकारों को किन सूचियों में बाँटा गया है?

....

(घ) लोकसभा में अधिक से अधिक कितने निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं?

....

17.9 कार्यपालिका

विधायिका से बने कानूनों को लागू करने वाले सरकार के अंग को कार्यपालिका कहते हैं। इस तरह सभी कर्मचारी इसमें शामिल हो जाते हैं। पर सरकार के एक अंग के रूप में कार्यपालिका का मतलब होता है– राज्य के प्रधान और उसके मंत्रियों से। भारत में राष्ट्रपति राज्य के प्रधान होते हैं। इस रूप में वे कार्यपालिका के प्रधान कहे जाते हैं।

राष्ट्रपति

राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। वह देश का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। राष्ट्रपति का पद गौरव का पद है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता। इन शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति के नाम से प्रधानमंत्री व मंत्रि–परिषद करते हैं।

योग्यताएँ

- वह भारत का नागरिक हो।
- 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो।
- संवैधानिक प्रमुख बनने की योग्यताएँ रखता हो।
- किसी लाभ के पद पर न हो।

निर्वाचन

राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य इस निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते। हर राज्य की विधान सभा के सदस्यों के मतों का मूल्य अलग–अलग होता है। यह उस राज्य की जनसंख्या में विधान सभा के सदस्यों की संख्या का भाग देकर व फिर भागफल में 1000 का भाग देकर निकाला जाता है। इसे इस तरह समझिए–

$$\text{एक विधायक के मत का मूल्य} = \frac{\text{राज्य की कुल संख्या}}{\text{विधान सभा के कुल निर्चाचित संदस्यों की संख्या}} \div 1000$$

इसी तरह, संसद के सदस्यों के मत का मूल्य भी निकाला जाता है। इसके लिए सभी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों के कुल मूल्य में निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है। इसे इस तरह समझिए–

$$\text{एक सांसद के मत का मूल्य} = \frac{\text{सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य}}{\text{लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या}}$$

कार्यकाल

राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच साल का होता है।

राष्ट्रपति को हटाना

राष्ट्रपति को केवल महाभियोग द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ

कार्यपालिका सम्बन्धी

राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। फिर उसकी सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से ही मंत्रियों के विभाग बाँटता है। उसकी सलाह से ही किसी मंत्री को मंत्री पद से हटा सकता है।

राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। वह विभिन्न संवैधानिक पदों पर भी नियुक्ति करता है, जैसे– महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य।

राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपालों की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रपति देश की सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। वह थल, जल व वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है।

राष्ट्रपति दूसरे देशों के लिए राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी करता है। दूसरे देशों से सभी संधियाँ व समझौते उसी के नाम से होते हैं। वह संसद द्वारा पास किए गए कानूनों को लागू कराता है। राष्ट्रपति अपने सारे कार्य प्रधानमंत्री की सलाह से करता है।

विधायी शक्तियाँ

राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुला सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह / सिफारिश पर कार्यकाल पूरा होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। वह राज्यसभा में 12 तथा लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।

राष्ट्रपति जरूरत पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। वह हर साल संसद के दोनों सदनों की पहली बैठक में भाग लेता है। इसके अलावा नई संसद की पहली बैठक को भी संबोधित करता है।

संसद द्वारा पास सभी विधेयक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वे कानून बनते हैं।

वित्तीय शक्तियाँ

देश की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। इसी से वह भावी या आकस्मिक कार्य के लिए अग्रिम राशि स्वीकृत करता है। आकस्मिक निधि केन्द्र सरकार की निधि है। इससे किसी जरूरी आकस्मिक खर्चे को पूरा किया जा सकता है। सभी धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं। वार्षिक बजट और रेल बजट भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं। हर पाँच साल में राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है।

न्यायिक शक्तियाँ

राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति को अपराधियों की सजा माफ करने, कम करने या कुछ समय के लिए आगे बढ़ाने का अधिकार भी है। क्षमा याचिका देने पर मौत की सजा पाए हुए अपराधी को भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। किन्तु ऐसा मंत्रालय की सलाह पर ही किया जा सकता है। पद पर रहते हुए राष्ट्रपति पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

उप राष्ट्रपति

संविधान में एक उप राष्ट्रपति की भी व्यवस्था की गई है। उप राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं।

योग्यताएँ

- वह भारत का नागरिक हो।
- 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो।
- किसी लाभ के पद पर न हो।
- उप राष्ट्रपति पद की योग्यता रखता हो।

कार्यकाल

उप राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच साल का होता है। यदि संसद (राज्य सभा व लोकसभा) चाहे तो बहुमत से प्रस्ताव पास करके उपराष्ट्रपति को हटा सकती है।

कार्य

उप राष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। इस नाते राज्य सभा में व्यवस्था बनाए रखना उसका कार्य है। इसके अलावा सदस्यों को प्रश्न पूछने और बोलने की इजाजत देना भी उप राष्ट्रपति का काम है।

उप राष्ट्रपति राज्य सभा का सदस्य नहीं होता। इस कारण वह किसी विधेयक या प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकता। किन्तु यदि पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ें, तो वह अपना निर्णायक मत दे सकता है।

किसी भी कारण से यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो उप राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। किन्तु यह अवधि 6 महीने से ज्यादा की नहीं हो सकती।

प्रधानमंत्री और मंत्रि-परिषद

संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग के लिए एक मंत्रि-परिषद होती है। यह राष्ट्रपति को सलाह भी देती है। प्रधानमंत्री मंत्रि-परिषद का नेता होता है। प्रधानमंत्री ही सरकार का वास्तविक मुखिया होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है।

प्रधानमंत्री व मंत्रि-परिषद की नियुक्ति

प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आम चुनाव का परिणाम आने के बाद लोकसभा में बहुमत प्राप्त या सबसे बड़े दल के नेता को राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए बुलाता है। उसी नेता के नेतृत्व में सरकार बनती है। उसे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य जरूर होना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है, जो संसद सदस्य न हो। किन्तु उसे 6 महीने के अन्दर किसी सदन का सदस्य बनना होगा। ऐसा न होने पर, उसे मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा।

मंत्रियों के समूह को मंत्रि-परिषद कहते हैं। मंत्रि-परिषद में तीन तरह के मंत्री होते हैं– कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (उपमंत्री) तथा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)। राज्य मंत्री (उपमंत्री) मंत्रालय के कामों में कैबिनेट मंत्री की मदद करते हैं। कभी-कभी किसी राज्य मंत्री को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभारी भी बना दिया जाता है।

आमतौर पर मंत्रि-परिषद और मंत्रि मंडल को एक ही माना जाता है। पर ऐसा नहीं है। मंत्रि मंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रियों का समूह मंत्रि-मंडल कहा जाता है। इसमें मंत्रियों की संख्या 15 से 20 होती है। मंत्रि-परिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं– कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)। इसमें मंत्रियों की संख्या 70 से भी ज्यादा हो सकती है। मंत्रि-मंडल की बैठक जरूरत के अनुसार कई बार हो सकती है। किन्तु, मंत्रि-परिषद की बैठक कभी-कभी ही होती है। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को मंत्रि-मंडल ही तय करता है, मंत्रि-परिषद नहीं।

प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ

प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। सरकार का कोई भी काम बिना उसकी सहमति के नहीं होता। वह लोकसभा का नेता और राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार होता है। वही मंत्रियों का चयन करता है और मंत्रियों

के विभागों का बँटवारा करता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को मंत्री पद से हटा सकता है। उसे इस्तीफा देने के लिए भी कह सकता है। अगर मंत्रियों में किसी विषय पर असहमति हो, तो उसे प्रधानमंत्री ही सुलझाता है।

मंत्रि-मंडल के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ही देता है। सरकार की नीतियाँ भी वही राष्ट्रपति को बताता है। उसी की सलाह से राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है। प्रधानमंत्री की इजाजत के बिना कोई भी मंत्री राष्ट्रपति से नहीं मिल सकता।

दूसरे देशों के साथ होने वाला कोई भी समझौता या संधि प्रधानमंत्री की सहमति से ही होता है।

मंत्रि मंडल के कार्य व शक्तियाँ

सभी मंत्री अपने-अपने विभागों का काम-काज देखते हैं। अपने विभागों से सम्बन्धित निर्णय लेते हैं। मंत्रि-मंडल देश की आंतरिक और विदेश नीति तय करने के सम्बन्ध में सभी निर्णय लेता है। सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च का इंतजाम करना मंत्रि-मंडल की ही जिम्मेदारी है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो, तो कानून पास नहीं हो सकते। तब सरकार अध्यादेश जारी करती है। बाद में उन्हें कानून बना दिया जाता है। अध्यादेश राष्ट्रपति की ओर से जारी होते हैं। अध्यादेश जारी करवाने की जिम्मेदारी भी मंत्रि-मंडल की ही होती है।

पाठगत प्रश्न 17.4

1. **निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए–**

(क) कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है?

....

(ख) उप राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य कौन होते हैं?

....

(ग) सरकार का वास्तविक मुखिया कौन होता है?

....

(घ) राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है?

....

2. राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है?

(क) 2 साल (ख) 6 साल

(ग) 3 साल (घ) 5 साल

3. राष्ट्रपति के न रहने पर, उस पद को कौन सँभालता है?

(क) प्रधानमंत्री (ख) लोकसभा अध्यक्ष

(ग) उप राष्ट्रपति (घ) मुख्य न्यायाधीश

4. राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है?

(क) 10 (ख) 12

(ग) 15 (घ) 8

17.10 न्यायपालिका

आप पढ़ चुके हैं कि संसद देश के लिए कानून बनाती है। इसे विधायिका भी कहते हैं। कार्यपालिका इन कानूनों को लागू करती है। सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका। यह कानूनों की व्याख्या करती है। लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा करती है। संविधान के संरक्षक के रूप में काम करती है और झगड़ों का निपटारा करती है।

हमारे देश में पूरे देश के लिए एक ही न्याय प्रणाली है। इसमें सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय है। इसे सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। इसके बाद राज्यों में उच्च न्यायालय हैं। इन्हें हाई कोर्ट भी कहते हैं। इनके नीचे जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय हैं। इनमें जिला और सत्र न्यायालय हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय में दीवानी और फौजदारी मुकदमों की सुनवाई होती है। सत्र न्यायालय को सेशन कोर्ट भी कहते हैं।

उच्चतम न्यायालय

हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। यह देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश भी कहते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

उच्चतम न्यायालय के तीन तरह के अधिकार क्षेत्र हैं– प्रारम्भिक या मूल अधिकार क्षेत्र, (2) अपील सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र, और (3) सलाह सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र।

चित्र 17.4 : भारतीय न्यायापालिका

1. प्रारम्भिक या मूल अधिकार क्षेत्र

कुछ मुकदमे केवल उच्चतम न्यायालय में ही सुने जा सकते हैं। ये हैं–

- ऐसे मुकदमे, जिनमें एक तरफ केन्द्र सरकार और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्य सरकारें हों।
- ऐसे मुकदमे, जिनमें एक तरफ केन्द्र सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारें हों, दूसरी तरफ भी एक या अधिक राज्य सरकारें हों।
- ऐसे मुकदमे, जिनमें राज्यों के बीच विवाद हो।

2. अपील सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र

किसी भी निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ उससे ऊपर की अदालत में अपील की जा सकती है। यह अपील सम्बन्धी अधिकार है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील पर सुनवाई कर सकता है। ये अपीलें दीवानी अथवा फौजदारी के मामलों की हो सकती हैं और संविधान से जुड़े मामलों की भी। संविधान से जुड़े मामलों में उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है। व्याख्या करने का मतलब है अर्थ निकालना। इनमें खास तौर पर मौलिक अधिकारों से जुड़े मामले शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय में की गई अपील अन्तिम अपील होती है।

3. सलाह सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र

उच्चतम न्यायालय को सलाह देने का अधिकार है। किन्तु वह तभी सलाह देता है, जब माँगी जाए। राष्ट्रपति किसी भी कानूनी मामले पर उच्चतम न्यायालय की सलाह माँग सकता है। उच्चतम न्यायालय सलाह दे भी सकता है और नहीं भी। साथ ही, राष्ट्रपति भी उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है।

संविधान का संरक्षक

उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। यह किसी को भी संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करने देता। न ही, किसी को संविधान के प्रावधानों का मनमाना अर्थ निकालने की इजाजत देता है।

उच्चतम न्यायालय सरकार के किसी भी नीति व नियम को परख सकता है। खास तौर से उसको, जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। उच्चतम न्यायालय यह परख सकता है कि विधायिका द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के अनुसार है या नहीं। इसी तरह से यह भी परख सकता है कि कार्यपालिका का कोई कार्य संविधान के खिलाफ तो नहीं है। उच्चतम न्यायालय के इस काम को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। यदि उच्चतम न्यायालय को यह लगे कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है, तो वह उस कानून या कार्य को अवैध घोषित कर सकता है।

इसी तरह, यदि किसी कानून से लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उच्चतम न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इस रूप में उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का पहरेदार है। इन्हीं कारणों से इसे लोकतंत्र का रखवाला भी कहा जाता है।

पाठगत प्रश्न 17.5

1. सही वाक्य पर ✓ तथा गलत ✗ का निशान लगाइए–

(क) हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। ( )

(ख) मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित मामले उच्चतम न्यायालय में नहीं सुने जा सकते। ( )

(ग) उच्चतम न्यायालय किसी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता। ( )

(घ) निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उससे ऊपर की अदालत में अपील की जा सकती है। ( )

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए–

(क) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?

....

(ख) उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश होते हैं?

....

(ग) सत्र न्यायालय में किन मामलों की सुनवाई होती है?

....

आपने क्या सीखा

- राज्य के चार प्रमुख तत्त्व होते हैं– जनता, भू-भाग, सरकार और सम्प्रभुता।
- संविधान राज्य का मूलभूत कानून माना जाता है।
- संविधान का सरोकार दो मुख्य बातों से होता है– (1) सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच आपसी सम्बन्ध, (2) सरकार और नागरिकों के बीच सम्बन्ध।
- भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।
- भारतीय संविधान के मूल तत्त्व हैं– (1) सम्प्रुभता, (2) समाजवादी राज्य, (3) पंथ निरपेक्षता, (4) लोकतांत्रिक गणराज्य, तथा (5) न्याय, स्वतंत्रता और समानता।
- वर्तमान में संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं– समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
- वर्ष 2002 में सरकार ने संविधान में 86वाँ संशोधन किया। इस संशोधन से शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया।
- अधिकार देने के साथ-साथ संविधान ने हमारे कुछ मूल कर्त्तव्य भी तय किए हैं।
- लोकतंत्र का मतलब है– जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन।

- भारत में शासन की संसदीय व्यवस्था है।
- संसद के दो सदन हैं– राज्य सभा और लोक सभा।
- राज्य सभा उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा निचला सदन।
- जनता लोकसभा के लिए अपने प्रतिनिधि चुनती है।
- सरकार के तीन प्रमुख अंग होते हैं– विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
- हमारे देश में केन्द्र में संसद विधायिका है। कानून बनाने का काम विधायिका का है।
- राज्य सभा में 250 सदस्य होते हैं।
- राज्य सभा के हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसके एक तिहाई सदस्य हर दो साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं। उनकी जगह नए चुने जाते हैं।
- राज्य सभा का सभापति उप राष्ट्रपति होता है।
- लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है।
- संसद के मुख्य कार्य हैं– विधायी कार्य, कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य, वित्तीय कार्य, संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्य।
- कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है।
- राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है।
- राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं– विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ।
- राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उप राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है।
- प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक मुखिया होता है।
- मंत्रियों के समूह को मंत्रि–परिषद् कहते हैं।
- मंत्रि–परिषद में दो तरह के मंत्री होते हैं– कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री।
- प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार होता है।
- न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है। मूल अधिकारों की रक्षा करती है।
- उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय है।
- राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं। जिलों में जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय होते हैं।
- उच्चतम न्यायालय के तीन तरह के अधिकार क्षेत्र हैं– प्रारम्भिक या मूल अधिकार क्षेत्र, अपील सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र और सलाह सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र।
- उच्चतम न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका के कामों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है।
- उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का पहरेदार है। इसे लोकतंत्र का रखवाला भी कहा जाता है।

आइए, करके देखें

- राष्ट्रीय मतदाता दिवस (25 जनवरी) के मौके पर लोगों को मतदान का महत्त्व बताएँ। चुनाव के पहले लोगों को मतदान के लिए जागरूक करें, ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़े।
- अपने साथियों के साथ मूल कर्त्तव्यों पर चर्चा करें।

पाठांत प्रश्न

1. सही वाक्य पर ✓ तथा गलत पर ✗ का निशान लगाइए–

(क) संविधान राज्य का मूलभूत कानून माना जाता है। ( )

(ख) हमारा संविधान 15 अगस्त, 1947 को लागू हुआ। ( )

(ग) समानता का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल है। ( )

(घ) राज्य सभा में 550 निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं। ( )

(च) न्यायपालिका संविधान के संरक्षक के रूप में काम करती है। ( )

2. सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए–

(क) राज्य के चार प्रमुख तत्त्व होते हैं– जनता, भू-भाग, ... और सम्प्रभुता। (सरकार / राजनीति)

(ख) लोकसभा का नेता .... होता है। (प्रधानमंत्री / उपराष्ट्रपति)

(ग) .... तीनों सेवाओं का प्रधान सेनापति होता है। (थल सेनाध्यक्ष / राष्ट्रपति)

(घ) जनता .... के लिए अपने प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। (राज्यसभा / लोकसभा)

(च) संविधान के .... संशोधन से शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है। (86वें / 87वें)

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए–

(क) भारत के संविधान के मूल तत्त्व कौन-कौन से हैं?

....

....

(ख) लोकसभा का सदस्य होने के लिए क्या-क्या योग्यताएँ होनी चाहिए?

....

....

(ग) कोई विधेयक कानून कब बनता है?

....

....

(घ) आकस्मिक निधि क्या है?

....

....

4. न्यायपालिका के बारे में पाँच लाइनें लिखिए।

....

....

....

....

....

उत्तरमाला

पाठगत प्रश्न

17.1 1. (क) सम्प्रभुता (ख) 26 जनवरी, 1950

(ग) कानून (घ) राष्ट्रपति

2. (क) इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ।

(ख) जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन।

(ग) डॉ. भीमरव अम्बेडकर।

17.2 1. (क) धार्मिक (ख) 6

(ग) 2002 (घ) कर्त्तव्य

2. (क) 14 साल से कम उम्र के।

(ख) न्यायालय में जा सकता है।

(ग) 6 से 14 वर्ष तक के।

17.3 1. (क) जनता (ख) उच्च

(ग) 18 (घ) 6

2. (क) उप राष्ट्रपति (ख) राष्ट्रपति

(ग) संघ केन्द्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची।

(घ) 550 सदस्य

17.4 1. (क) राष्ट्रपति (ख) संसद के दोनों सदनों के सदस्य

(ग) प्रधानमंत्री (घ) महाभियोग द्वारा

2. 5 साल

3. उप राष्ट्रपति

4. 12

17.5 1. (क) ✓ (ख) ✗ (ग) ✗ (घ) ✓

2. (क) राष्ट्रपति (ख) 30 (ग) फौजदारी

पाठांत प्रश्न

1. (क) ✓ (ख) ✗ (ग) ✓

(घ) ✓ (च) ✓

2. (क) सरकार (ख) प्रधानमंत्री (ग) राष्ट्रपति

(घ) लोक सभा (च) 86वें

3. (क) सम्प्रभुता, समाजवादी राज्य, धर्म निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य तथा न्याय, स्वतंत्रता व समानता।

(ख) भारत का नागरिक हो, उम्र 25 साल की आयु पूरी कर चुका हो। वे सभी योग्यताएँ हों, जो समय-समय पर संसद ने तय की हैं।

(ग) संसद में पास होने और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद।

(घ) आकस्मिक निधि केन्द्र सरकार की निधि है। इससे किसी जरूरी आकस्मिक खर्चे को पूरा किया जा सकता है।

18

राज्य सरकार

आप लोकतंत्र और भारतीय संविधान के बारे में जान चुके हैं। जैसे देश का शासन चलाने के लिए दिल्ली में केन्द्र सरकार है, वैसे ही राज्यों का शासन चलाने के लिए राज्य सरकारों का गठन होता है। विधानसभा, विधान परिषद, मंत्रि-परिषद, राज्यपाल और मुख्यमंत्री आदि राज्य सरकार का हिस्सा हैं। इस पाठ में हम इनके महत्त्व, गठन, कार्य एवं शक्तियों के बारे में जानेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- विधानसभा एवं विधान परिषद के गठन को समझा सकेंगे;
- विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का विश्लेषण कर सकेंगे;
- विधानसभा एवं विधान परिषद के कार्यों और शक्तियों को समझा सकेंगे और
- राज्यपाल की नियुक्ति एवं कार्य, मुख्यमंत्री व मंत्रि-परिषद की भूमिका का विश्लेषण कर सकेंगे।

18.1 राज्य विधान-मंडल या विधायिका

राज्यों में शासन चलाने वाली सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। सम्पूर्ण देश में शासन चलाने वाली सरकार को भारत सरकार या केन्द्र सरकार कहते हैं। कुछ क्षेत्रों का शासन भी केन्द्र सरकार चलाती है। ऐसे क्षेत्रों को संघ अथवा केन्द्र शासित क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र हैं– 1. अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह, 2. दमन व दीव, 3. चण्डीगढ़, 4. दादर व नगर हवेली, 5. पुडुचेरी, 6. लक्षद्वीप, तथा 7. दिल्ली। इनमें से पुडुचेरी और दिल्ली

दो क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ केन्द्र का शासन होने के साथ-साथ विधानसभा और मंत्रि-मण्डल भी हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधान-मंडल का गठन किए जाने की व्यवस्था है। विधान-मंडल राज्यपाल तथा एक या दो सदनों से मिलकर बनता है। राज्यपाल भी विधान-मंडल का अभिन्न अंग होता है। इसे विधायिका भी कहते हैं। जिन राज्यों में एक सदन होता है, वहाँ केवल विधानसभा होती है। जहाँ दो सदन होते हैं, वहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं। विधानसभा निम्न सदन और विधान-परिषद उच्च सदन के रूप में जानी जाती है।

भारत के सभी राज्यों में दोनों सदनों की व्यवस्था नहीं है। राज्यों में दोनों सदनों का होना, न होना राज्य की विधानसभा की इच्छा पर निर्भर होता है। अभी तक देश के केवल 6 राज्यों में दोनों सदनों की व्यवस्था है। ये राज्य हैं– बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर तथा आंध्र प्रदेश।

राज्य विधानसभा और उसका गठन

विधानसभा विधान-मंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 तक हो सकती है। परन्तु जनसंख्या के आधार पर कुछ राज्यों में सदस्यों की संख्या 60 से भी कम है, जैसे– गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 तथा पुडुचेरी में 30 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 404 सीटें हैं, जो सबसे अधिक हैं।

विधानसभा के सदस्यों को विधायक या एम.एल.ए. कहा जाता है। जनसंख्या के आधार पर विधानसभा की कुछ सीटें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। विधानसभा के सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष को प्राय: स्पीकर भी कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य सदन की कार्यवाही का संचालन करना और सदन में अनुशासन बनाए रखना है।

विधानसभा अध्यक्ष यदि बीच में ही इस्तीफा न दे, तो अगली विधानसभा के गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने तक अपने पद पर बना रहता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी कारण यदि विधानसभा के सदस्य न रहें तो वे अपना पद स्वयं छोड़ देते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके भी हटाया जा सकता है, परन्तु ऐसा प्रस्ताव पेश करने से कम से कम 14 दिन पहले उन्हें इस संबंध में सूचित किया जाना चाहिए।

विधानसभा की अवधि

जम्मू और कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों की विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष के लिए निर्धारित है। केवल जम्मू और कश्मीर विधानसभा की अवधि 6 वर्ष है। विधानसभा की अवधि उस तिथि से प्रारम्भ होती है, जिस तिथि को उसकी पहली बैठक होती है।

विधायकों अथवा विधानसभा सदस्यों का चुनाव

विधायकों का चुनाव सीधे राज्य की जनता द्वारा वोट डालकर किया जाता है। चुनाव में हर वह नागरिक वोट

डाल सकता है, जो–

- 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो।
- मतदाता सूची अथवा वोटर लिस्ट में उसका नाम हो।

चित्र 18.1 : चुनाव में मतदान

चुनाव में खड़े होने के लिए सदस्यों की योग्यता

विधानसभा का सदस्य बनने के लिए हर वह व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है, जो–

- भारत का नागरिक हो।
- 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो।
- पागल या दिवालिया न हो।
- किसी कानून के अधीन किसी तरह से विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य न ठहराया गया हो।

राज्य विधानसभा के कार्य और शक्तियाँ

संविधान में राज्य विधानसभा को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ये शक्तियाँ चार तरह की हैं–

1. विधायी शक्तियाँ
2. कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ
3. वित्तीय शक्तियाँ
4. अन्य विविध शक्तियाँ

1. विधायी शक्तियाँ

- इन शक्तियों के अधीन विधानसभा को राज्य सूची के 61 और समवर्ती सूची के 52 विषयों पर नए कानून बनाने का अधिकार है।
- विधानसभा पुराने कानूनों में जरूरत के अनुसार संशोधन कर सकती है और अनावश्यक कानूनों को समाप्त कर सकती है।
- विधानसभा में साधारण और धन सम्बन्धी दोनों तरह के विधेयक पेश किए जा सकते हैं।
- राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों का विधानसभा की कार्यवाही में अनुमोदन किया जाता है।

2. कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ

विधानसभा मंत्रि–परिषद पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। इस मामले में विधानसभा की शक्तियाँ विधान परिषद से अधिक हैं।

- मंत्रि–परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं।
- विधानसभा के सदस्य मंत्रि–परिषद के सदस्यों से प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना कर सकते हैं।
- विधानसभा के सदस्य किसी भी विधेयक को अस्वीकृत कर सकते हैं।
- विधानसभा सदस्य 'काम रोको प्रस्ताव' या 'ध्यानाकर्षण प्रस्ताव' पास कर सकते हैं।
- सदस्य मंत्रि–परिषद के विरुद्ध 'अविश्वास प्रस्ताव' पास करके उसे हटा सकते हैं।

3. वित्तीय शक्तियाँ

- राज्य का बजट एवं वित्तीय नीति विधानसभा ही निश्चित कर सकती है।
- वित्त सम्बन्धी विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। इन्हें पेश करने का अधिकार केवल वित्त मंत्री को है।

- आगामी वर्ष का बजट भी विधानसभा द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
- पुराने करों को समाप्त करने एवं नए कर लागू करने का अधिकार केवल विधानसभा को है।
- विधानसभा की स्वीकृति के बिना सरकार न तो कोई कर लगा सकती है, न ही राजकोष में से एक पैसा भी खर्च कर सकती है।

4. अन्य विविध शक्तियाँ

- विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
- विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के एक-तिहाई सदस्यों का चुनाव करते हैं।
- विधानसभा राज्य में विधान परिषद की स्थापना अथवा उसकी समाप्ति का प्रस्ताव पास कर सकती है।
- भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों / विषयों में संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति मिलनी आवश्यक होती है।

पाठगत प्रश्न 18.1

1. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के नाम लिखिए।

   ....

2. सबसे अधिक सदस्य किस प्रदेश की विधानसभा में हैं?

   ....

3. विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिये मतदाता की न्यूनतम आयु क्या तय की गई है?

   ....

4. विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव करते हैं?

   ....

18.2 विधान परिषद का गठन

विधान परिषद राज्य विधान-मंडल का दूसरा सदन अथवा उच्च सदन है। यह एक स्थायी सदन है। इस सदन के सदस्यों को विधान परिषद सदस्य या एम.एल.सी. कहते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य, संख्या की एक-तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। किन्तु किसी भी हालत में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। केवल जम्मू और कश्मीर

में विशेष व्यवस्था के अंतर्गत वहाँ के विधान परिषद सदस्यों की संख्या 36 रखी गई है।

विधान परिषद के सदस्य मिलकर अपने में से ही एक सभापति और एक उप सभापति का चुनाव करते हैं। सभापति को चेयरमैन और उप सभापति को डिप्टी चेयरमैन भी कहते हैं। सभापति द्वारा ही विधान परिषद की कार्यवाही का संचालन किया जाता है।

विधान परिषद के कुल सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। एक-तिहाई सदस्यों का चुनाव ऐसे निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्य की नगरपालिकाओं, जिला परिषदों, पंचायतों तथा अन्य स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं के सदस्य होते हैं। इसी तरह कुल सदस्यों का बारहवाँ भाग राज्य के ऐसे स्नातकों द्वारा चुना जाता है, जिन्हें स्नातक परीक्षा पास किए कम से कम तीन वर्ष हो चुके हों। इसके अलावा बारहवाँ भाग राज्य के उन अध्यापकों द्वारा चुना जाता है, जो कम से कम तीन वर्ष से उच्च माध्यमिक अथवा उससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ा रहे हों। शेष बचे हुए छठे भाग के सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इनमें वे लोग होते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी तथा सामाजिक क्षेत्र में प्रसिद्धि पा चुके हों।

विधान परिषद सदस्यों की योग्यता

विधान परिषद की सदस्यता के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएँ होना अनिवार्य है।

- भारत का नागरिक हो।
- विधानसभा का सदस्य न हो।
- कम से कम 30 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो।
- उस राज्य के किसी विधानसभा क्षेत्र का निवासी हो और उस क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम हो।
- सरकार के अन्तर्गत किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो।

विधान परिषद की अवधि

- विधान परिषद एक स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होता।
- विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
- हर दो वर्ष बाद कुल सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य सेवा निवृत्त होते रहते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। इस प्रकार यह सदन हमेशा बना रहता है।
- अपना कार्यकाल पूरा किए बिना बीच में ही यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह त्यागपत्र दे देता है तो उसके स्थान पर नए सदस्य का चुनाव केवल बचे हुए कार्यकाल तक के लिए होता है।

विधान परिषद के कार्य एवं शक्तियाँ

- विधानसभा की तुलना में विधान परिषद की शक्तियाँ कम हैं।

- कानून सम्बन्धी साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं, परन्तु वे विधेयक दोनों सदनों से पास होने चाहिएँ।
- विधानसभा में पारित धन विधेयक विधान परिषद में पेश किया जाता है। धन विधेयक के सम्बन्ध में विधान परिषद को सीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं। उसके पास तीन विकल्प होते हैं–
  (1) विधानसभा से जिस रूप में विधेयक आया है, उसे उसी रूप में स्वीकार करना।
  (2) कुछ सुझावों के साथ विधेयक विधानसभा को लौटाना।
  (3) तीसरी स्थिति में वह उसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है।
- राज्यपाल की पूर्व अनुमति से धन विधेयक विधानसभा में पेश किया जाता है।
- विधान परिषद द्वारा दिए गए सुझावों को मानना या न मानना विधानसभा पर निर्भर करता है।

पाठगत प्रश्न 18.2

1. विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए?

....

2. विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए?

....

3. विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?

....

4. धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है?

....

5. जम्मू और कश्मीर में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है?

....

18.3 राज्य कार्यपालिका

राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रि-परिषद से मिलकर बनती है। केन्द्र में जो स्थिति राष्ट्रपति की होती है, राज्य में वही स्थिति राज्यपाल की होती है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के शीर्ष पर होता है?

राज्यपाल की नियुक्ति एवं योग्यताएँ

राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी सलाह लेता है। आमतौर पर राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होता। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिएँ–

- वह भारत का नागरिक हो।
- वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- वह संसद अथवा किसी विधान-मंडल का सदस्य न हो। यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल नियुक्त होने के बाद उसे सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा।
- वह किसी सरकारी पद पर कार्य न कर रहा हो।
- किसी न्यायालय द्वारा उसे दण्डित न किया गया हो।

राज्यपाल का कार्यकाल

- सामान्य रूप से राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है। परन्तु अवधि पूर्ण होने के बाद भी जब तक दूसरे राज्यपाल की नियुक्ति न हो, तब तक वह अपने पद पर बना रह सकता है।
- कोई भी राज्यपाल अपने पद पर तभी तक बना रह सकता है, जब तक राष्ट्रपति का उसमें विश्वास हो। राष्ट्रपति चाहे तो उसे कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटा सकता है।
- इसके अतिरिक्त राज्यपाल चाहे तो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले अपनी इच्छा से त्यागपत्र देकर भी अपने पद से हट सकता है।

राज्यपाल के कार्य एवं अधिकार

- राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। अतः कार्यपालिका सम्बन्धी सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही होते हैं जिनका प्रयोग वह मुख्यमंत्री और मंत्रि-परिषद की सलाह पर करता है।
- राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
- वह राज्य-लोक-सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है।
- राज्यपाल को विधानमण्डल के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाने, उसे स्थगित करने और विधानसभा को अवधि से पहले भंग करने का अधिकार है।
- हर वर्ष विधानमण्डल के दोनों सदनों का प्रथम अधिवेशन राज्यपाल के अभिभाषण से प्रारम्भ होता है।

- वह किसी भी सदन को अपना लिखित संदेश भेज सकता है।
- राज्यपाल चाहे तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है।
- विधानमण्डल द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति पाकर ही कानून बनता है।
- राज्यपाल को विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को ऐसे लोगों में से मनोनीत करने का अधिकार है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता या समाज सेवा के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हों।
- विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, परन्तु वह ऐसा तभी कर सकता है, जब विधानमण्डल का अधिवेशन न हो रहा हो।
- राज्यपाल अपने राज्य के दण्ड प्राप्त किसी भी अपराधी के दण्ड को कम कर सकता है, क्षमा कर सकता है, अथवा उसमें बदलाव कर सकता है। परन्तु ऐसा वह उन्हीं अपराधियों के मामले में कर सकता है, जिन्हें राज्य का कानून तोड़ने के लिए दण्डित किया गया हो। फांसी की सजा को क्षमा करने या कम करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। यह अधिकार केवल राष्ट्रपति को है।
- राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है।
- विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है।
- राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में शासन का संचालन पूरी तरह राज्यपाल के हाथ में आ जाता है। तब वह केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

पाठगत प्रश्न 18.3

सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए–

1. राज्यपाल की नियुक्ति .... द्वारा की जाती है। (मुख्यमंत्री / राष्ट्रपति / सभापति)
2. राज्यपाल राज्य की .... का संवैधानिक प्रधान होता है। (कार्यपालिका / महापालिका / जिला परिषद)
3. राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को .... नियुक्त करता है। (महाधिवक्ता / मुख्य सचिव / मुख्यमंत्री)
4. राज्यपाल राज्य के सभी .... का कुलाधिपति होता है। (अस्पतालों / विश्वविद्यालयों / विद्यालयों)

18.4 मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं योग्यताएँ

केन्द्र में जो स्थान प्रधानमंत्री का है, वही राज्य में मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रि-परिषद का प्रधान होता है। राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के विधायक जिसे अपना नेता चुनते हैं, उसे ही राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे में राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को अथवा किसी ऐसे दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, जो अपना बहुमत सिद्ध करने में सक्षम दिखाई दे। वह उसे सदन में बहुमत प्राप्त करने का समय देता है।

किसी ऐसे व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जो विधानसभा का सदस्य न हो, परन्तु बहुमत प्राप्त दल उसे अपना नेता चुन ले। ऐसे में नियुक्त मुख्यमंत्री को अगले 6 माह में विधानसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। यदि इस अवधि में वह विधानसभा का सदस्य नहीं बन पाता है, तो उसे मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री के कार्य एवं अधिकार

- राज्य की शासन-व्यवस्था मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। वह शासन के सभी विभागों की देख-रेख करता है।
- वह मंत्रियों का चुनाव करके अपनी मंत्रि-परिषद स्वयं बनाता है।
- वह मंत्रियों में विभागों का बँटवारा भी करता है।
- विभागों व मंत्रियों में मतभेद होने पर मुख्यमंत्री ही उसका समाधान करता है।
- सभी मंत्री उसी की देखरेख में अपने-अपने विभागों के कार्य करते हैं।
- राज्य की नीति का निर्धारण मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार किया जाता है।
- यद्यपि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, महाधिवक्ता तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास है, परन्तु वास्तव में इस अधिकार का प्रयोग वह मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है।
- मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को जब चाहे हटा सकता है अथवा मंत्रियों के विभागों में फेर-बदल कर सकता है।
- मुख्यमंत्री राज्यपाल को परामर्श देकर अवधि पूर्ण होने से पहले ही विधानसभा को भंग करा सकता है।
- राज्यपाल मुख्यमंत्री के माध्यम से अपनी बात अन्य मंत्रियों तक पहुँचाता है और उसी के माध्यम से शासन-सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करता है।
- राज्य में कानूनों का निर्माण मुख्यमंत्री की इच्छा और स्वीकृति से होता है।

पाठगत प्रश्न 18.4

सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए–

1. राज्य मंत्रि-परिषद का प्रधान .... होता है। (मुख्यमंत्री / वित्तमंत्री)
2. मुख्यमंत्री किसी भी .... को जब चाहे, पद से हटा सकता है। (विधायक / मंत्री)
3. मुख्यमंत्री .... में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। (विधान परिषद / विधानसभा)
4. राज्य में .... का निर्माण विधानमंडल की इच्छा और स्वीकृति से होता है। (कानून / मानसून)

18.5 मंत्रि-परिषद का गठन

मंत्रि-परिषद का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मंत्रि-परिषद में उन्हें शामिल किया जाता है, जो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य हों। विशेष परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति को भी मंत्रि-परिषद में शामिल किया जा सकता है, जो दोनों में से किसी सदन का सदस्य न हो। ऐसी स्थिति में उसे अगले 6 माह में दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है।

मंत्रि-परिषद में सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। उसके बाद राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। मंत्रियों की संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य की आवश्यकता और कार्यों को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रियों की संख्या निश्चित की जाती है। इसी कारण से मंत्रि-परिषद में मंत्रियों की संख्या घटती-बढ़ती रहती है।

मंत्रि-परिषद में मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रियों को विभागों का वितरण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। मंत्रि-परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है। मंत्रि-परिषद अपने पद पर तभी तक बनी रह सकती है, जब तक उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त है। विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रि-परिषद को हटा सकती है।

मंत्रि-परिषद के कार्य एवं अधिकार

- राज्यपाल के नाम से वास्तव में राज्य में शासन का संचालन मंत्रि-परिषद ही करती है।
- मंत्रि-परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, अत: मंत्रि-परिषद पर विधानसभा का नियंत्रण / अंकुश रहता है।
- राज्य की वित्त नीति का निर्धारण मंत्रि-परिषद द्वारा किया जाता है।

- राज्य सरकार के वार्षिक बजट तथा आय-व्यय के मदों का निर्धारण मंत्रि-परिषद द्वारा किया जाता है।
- नियुक्ति संबंधी राज्यपाल के सभी अधिकारों का वास्तविक प्रयोग मंत्रि-परिषद ही करती है।
- राज्य के नीति-निर्धारण, कानून बनाने तथा कल्याणकारी योजनाएँ बनाने का कार्य मंत्रि-परिषद द्वारा किया जाता है।
- कुल मिलाकर मंत्रि-परिषद ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है।

पाठगत प्रश्न 18.5

1. मंत्रि-परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है?

....

2. मंत्रि-परिषद में सबसे पहले किसकी नियुक्ति होती है?

....

3. मंत्रियों में विभागों का वितरण कौन करता है?

....

आपने क्या सीखा

- राज्य की विधायिका को विधान-मंडल कहते हैं।
- कुछ राज्यों में विधान-मंडल के दो सदन होते हैं, जबकि कुछ राज्यों में केवल एक सदन है।
- जिन राज्यों में एक सदन है, उसे विधानसभा कहते हैं।
- जिन राज्यों में दो सदन हैं, उनमें निम्न सदन को विधानसभा और उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं।
- देश के केवल 6 राज्यों में दोनों सदन हैं। ये राज्य हैं– 1. उत्तर प्रदेश, 2. बिहार, 3. कर्नाटक, 4, महाराष्ट्र, 5. आन्ध्र प्रदेश, 6. जम्मू और कश्मीर
- विधान परिषद राज्य विधान-मंडल का स्थायी सदन है।
- विधानसभा के सदस्यों को विधायक या एम.एल.ए. कहते हैं।
- विधानपरिषद के सदस्यों को विधान परिषद सदस्य या एम.एल.सी. कहते हैं।
- राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रि-परिषद से मिलकर बनती है।

- राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- कार्यपालिका के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही होते हैं।
- कोई भी विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है।
- विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है।
- राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर शासन-प्रशासन का संचालन पूरी तरह से राज्यपाल के हाथ में आ जाता है।
- राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है।
- मुख्यमंत्री राज्य मंत्रि-परिषद का प्रधान होता है।
- मंत्रि-परिषद का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है।
- मंत्रि-परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं।
- मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है।
- राज्य की सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था मुख्यमंत्री के हाथ में होती है।
- मुख्यमंत्री राज्यपाल को परामर्श देकर अवधि पूर्ण होने से पहले भी विधानसभा को भंग करा सकता है।

पाठांत प्रश्न

1. सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए–

(विधायक, मुख्यमंत्री, राज्य, विधायिका, राष्ट्रपति, परिषद)

(क) राज्यों में शासन चलाने वाली सरकार को .... सरकार कहते हैं।

(ख) विधान-मंडल को .... भी कहते हैं।

(ग) विधानसभा के सदस्यों को .... या एम.एल.ए. कहते हैं।

(घ) विधानसभा के सदस्य .... के चुनाव में भाग लेते हैं।

(च) विधान .... राज्य विधान-मंडल का उच्च सदन है।

(छ) राज्य की शासन-व्यवस्था .... के हाथ में होती है।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

(क) उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटे हैं?

....

(ख) विधानसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं?

....

(ग) जम्मू और कश्मीर विधानसभा की अवधि कितने वर्ष निर्धारित है?

....

(घ) विधान परिषद के सबसे कम सदस्य किस राज्य में हैं?

....

(च) राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है?

....

(छ) विधानसभा के चुनाव में वोट कौन डाल सकता है?

....

....

3. सही वाक्य पर ✓ तथा गलत पर × का निशान लगाइए–

(क) जिन राज्यों में विधान-मंडल का एक सदन होता है, उसे विधानसभा कहते हैं। ( )

(ख) राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता द्वारा किया जाता है। ( )

(ग) विधान परिषद के सदस्यों के लिए कोई न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं है। ( )

(घ) विधानसभा की तुलना में विधान परिषद की शक्तियाँ कम हैं। ( )

(च) राज्यपाल को विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। ( )

(छ) राज्यपाल विधान-मंडल का अभिन्न अंग है। ( )

4. दोनों तरफ के सही तथ्यों को मिलाइए :

(क)	विधान-मंडल	1.	उच्च सदन
(ख)	विधानसभा अध्यक्ष	2.	मुख्यमंत्री
(ग)	विधान परिषद	3.	विधान परिषद
(घ)	स्थायी सदन	4.	विधायिका
(च)	बहुमत प्राप्त दल का नेता	5.	स्पीकर

5. राज्य के मुख्यमंत्री के कोई 4 कार्य लिखिए :

....

....

....

....

आइए, करके देखें

- राज्य की सरकार कैसी हो? सरकार को राज्य के हित में कौन-कौन से काम करने चाहिए? इस पर आपस में चर्चा करें।

उत्तरमाला

पाठगत प्रश्न

18.1

1.	विधानसभा, विधान-परिषद	2.	उत्तर प्रदेश
3.	18 वर्ष	4.	एक तिहाई

18.2

1.	40	2.	30 वर्ष
3.	6 वर्ष	4.	विधानसभा
5.	36		

18.3

1.	राष्ट्रपति	2.	कार्यपालिका
3.	मुख्यमंत्री	4.	विश्वविद्यालयों

18.4

1.	मुख्यमंत्री	2.	मंत्री
3.	विधानसभा	4.	कानून

18.5

(क)	राज्यपाल द्वारा	2.	मुख्यमंत्री की
3	मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल		

पाठांत प्रश्न

1. (क) राज्य (ख) विधायिका
   (ग) विधायक (घ) राष्ट्रपति
   (च) परिषद (छ) मुख्यमंत्री
2. (क) 404 (ख) स्पीकर
   (ग) 6 वर्ष (घ) जम्मू और कश्मीर
   (च) राज्यपाल
   (छ) हर वह नागरिक, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और मतदाता सूची में उसका नाम हो।
3. (क) ✓ (ख) ✗
   (ग) ✗ (घ) ✓
   (ङ) ✗ (च) ✓
4. (क) विधायिका (ख) स्पीकर
   (ग) उच्च सदन (घ) विधान परिषद
   (च) मुख्यमंत्री

19

लोकतंत्र और स्थानीय स्वशासन

वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है। दुनिया में लोकतांत्रिक सरकारों की संख्या लगातार बढ़ रही है तथा तानाशाही प्रवृत्ति के विरुद्ध संघर्ष तेज होते जा रहे हैं। आखिर लोकतंत्र इतना अधिक लोकप्रिय क्यों है? हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक देश और समाज में कुछ समस्याएँ होती हैं। नागरिक सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार इनका समाधान करे। लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है, जो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए लोकतंत्र जन समस्याओं का समाधान करने में सबसे उपयुक्त शासन-व्यवस्था है। यह नागरिकों को अनेक अधिकार देकर उन्हें सशक्त करती है। लोकतंत्र में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होते हैं। चुनाव के द्वारा सत्ता शान्तिपूर्ण ढंग से एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है। यह लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख विशेषता है। हमारा देश भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश में केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय, तीनों स्तरों पर लोकतांत्रिक सरकारें कार्यरत हैं। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के आधारभूत तत्त्वों तथा स्थानीय स्वशासन पर चर्चा करेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- लोकतंत्र का अर्थ तथा उसके विविध आयामों व तत्त्वों का उल्लेख कर सकेंगे;
- वयस्क मताधिकार की अवधारणा, निर्वाचन प्रक्रिया एवं प्रकार, आम चुनाव, मध्यावधि और उपचुनाव आदि को स्पष्ट कर सकेंगे;
- राजनीतिक दल का अर्थ, प्रकार व उनकी भूमिका के बारे में लिख सकेंगे;
- लोकतंत्र में संचार माध्यमों व मीडिया की भूमिका को समझा सकेंगे;